संख्या-113/2023/762/001-23-9002(002)/7/2023-9

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 01 अप्रैल, 2023

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग के 09 चालू कार्य पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 09 कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 3,65,41,000/- (रूपये तीन करोड़ पैसठ लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम	मुख्य अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3805/CE-HQ1/PDDUY/KNP/2023-24 Dt- 24-04-2023	प्रा.ख. फतेहगढ़	सिंगीरामपुर के मजरा/ बसावट अस्तल सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	57.14	1.83	2.00	53.31	42.65
2	3805/CE-HQ1/PDDUY/KNP/2023-24 Dt- 24-04-2023	प्रा.ख. फतेहगढ़	बहोरा के मजरा/ बसावट छिछौनापुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	63.22	2.03	1.50	59.69	47.75
3	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	नि.ख.-2 हरदोई	कटरी महादेवा मार्ग से चिरंजीवपुरवा सम्पर्क मार्ग।	56/2021/आ0-121/23-9-2020-03डी0डी0/2020, दिनांक 03-03-2021	219.61	175.68	0.19	43.74	34.99
4	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	नि.ख.-2 हरदोई	सी0एन0एन0 मार्ग कि0मी0-10 पन्योडी सम्पर्क मार्ग।	56/2021/आ0-121/23-9-2020-03डी0डी0/2020, दिनांक 03-03-2021	138.41	110.72	0.12	27.57	22.06
5	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	प्रा.ख. हरदोई	सी/ओ सुन्डा रोड से नारायन पुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	53.66	3.54	0.20	49.92	39.94
6	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	प्रा.ख. हरदोई	कन्सुआ मार्ग से महुआ खेडा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	39.85	2.63	0.30	36.92	29.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम	मुख्य अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत/ प्राविधिक स्वीकृत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			का कार्य।						
7	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	प्रा.ख. हरदोई	हरैया मार्ग से उमरिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	53.64	3.54	0.50	49.60	39.68
8	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	प्रा.ख. हरदोई	सी/ओ मंसूरनगर मछैता रोड कि0मी0 5 से सरौरा लिंक रोड।	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	78.10	5.16	0.30	72.64	58.11
9	3855/CE-HQ1/PDDUY/LKO/2023-24 Dt- 25-04-2023	प्रा.ख. हरदोई	कोठवांन माल मार्ग से जुगराज पुर सम्पर्क मार्ग।	38/2023/206/ 23-9-23/001-23-9002-002-7-2023, दिनांक 23-02-2023	68.11	4.50	0.25	63.36	50.69
				योग					365.41

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,65,41,000 (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथमप्रयागराज। उ0प्र0 (निर्माण)
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।